Project Name:- Construction of 4 laning of Kotdwar Bypass of NH-119 connecting Najibabbad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri Road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2.

मानक शर्ते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भारत सरकार) नजीबाबाद के 4 laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar – Pauri Road in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand under Bharatmala Pariyojana के लिये मानक प्रमाण पत्र ।

(वन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14-3-1900/82: दिनांक 31.12.2004 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उस के वैधानिक स्तर में कोई परिवर्ततन नहीं होगा और यह पूर्व की भाँति चिन्हित / संरक्षित भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजनों हेतु कदापि नहीं ।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4. मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. अधोहस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किया जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

6. भूमि सीमांकन नियंत्रक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराएगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। **(ये मान्य नहीं है ।)**

10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वत बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. India

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परमर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 600/ सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगी कि अश्य मार्ग बनाना अथवा वन भूमि का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, शर्तें ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से प्रयाप्त न होगा, और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है। **(ये मान्य नहीं है।)**

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग से सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षा रोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण तथा 3 वर्षो तक परिषोशण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकरण बॉज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षो के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है। तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है। और नहर के दोनों पटरीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता हैं। तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करेगा। **(ये मान्य नहीं है)**

17. उपरोक्त मानक शर्तें के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तें को पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभाग (भारत सरकार) का प्रतिनिध यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद

Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. India